

9-7-21

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थनागण उपस्थित अप्रार्थनागण के सम्मन बाद तामील लेकर छेव मे ही प्राप्त हो चुके हैं। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का मेजा द्वारा भी मौफा रिफा प्राप्त हुई जिसे शावप की गई, अप्रार्थनागण को कितनी मर्तवा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, स्वडे छिन्ट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थनागण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थनागण की वदस खुनी गयी वास्ते पत्रावली आदेश लेवु नियत दिनांक 16-7-21 को पेश हो।

स्वीकार मोठपट्टे
शिवर तय

16/7/21

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26.7.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27/7/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27/7 को पेश हो।

27-7-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनागण उपस्थित वकील प्रार्थनागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हृषक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंक्शन शुमार लेकर नम्बर से कम ही।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



को तान...
जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 86/20

1- श्री नन्दा 5/ श्री गोहा दरोगा जिवारजी - कात्तुरवेडा तहसील-माण्डल [मौज]

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री लातु 5/ श्री गुहा दरोगा जिवारजी - कात्तुरवेडा तहसील-माण्डल [मौज]
(साधुविक्रम प्रवण्ड राविका)

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 27-07-21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कात्तुरवेडा पटवार हल्का मौजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 746, 747, 246, 883 कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कात्तुरवेडा पटवार हल्का मौजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 746, 747, 846/736, 883/747 कुल किता 04 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मौजा को 900/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी को जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी